सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी–महावीर सिंह, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 48/19** **निर्णय दिनांकः–15–10–2019**

1. बलजीत कौर पत्नी बलजीत सिंह उर्फ करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 42 केवाईडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

**–बनाम–**

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

**अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 16–09–2000**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर**

**उपस्थितिः–**

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्

**–निर्णय–**

**1.** अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 16–09–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

**2.** विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

**3.** विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 198/29 में 19 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम

सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा तत्पश्चात् अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी द्वारा 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाये जाने कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही यह कथन किया गया था कि आवेदित रकबा आज दिनांक को भी शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट आज दिनांक को भी वादगत् भूमि के आवंटन हेतु राशि मय ब्याज भुगतान करने को तैयार है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 445, आरआरटी 2018 पार्ट I पेज 485 व आरआरटी 2014—15 स्प. पेज 443 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—09—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 11—03—2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 4 एस.एम के मुरब्बा नम्बर 198/29 में 19 बीघा अनकमाण्ड भूमि के विशेष आवंटन के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को वादगत् भूमि का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का 35 प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु चालान राशि 72800/— दिनांक 31—05—2000 जारी किया गया व बकाया सबूत पेश करने हेतु नाोटिस जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के बाबत् 35 प्रतिशत राशि व बकाया सबूत पेश करें। अपीलांट द्वारा ना तो चालान के माध्यम से आवंटन हेतु निर्धारित 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई गई ना ही वांछित सबूत प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन दिनांक 30—05—2000 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से निरस्त कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट निर्धारित तिथि को आवंटन अधिकारी के समक्ष ना तो स्वयं उपस्थित हुआ व ना ही आवंटन हेतु निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई व ना ही वांछित सबूत अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कमांक 2163 दिनांक 03—03—2000 को नोटिस जारी किया गया तथा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि व गत् 20 वर्षो से अधिवास के प्रमाणीकरण हेतु वोटर लिस्ट वर्ष 1971, 1975, 1980, 1993 व 1998, मूल निवास प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक प्रमाण पत्र, भूमि अथवा भूमिहीन प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो व आवेदक के पति या पिता के व्यवसास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हेतु नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् नोटिस कमांक 13482 दिनांक 01—09—2000 जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी होने के उपरान्त भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। आवंटन नियमों के तहत आवंटन की दिनांक से 6 माह के

भीतर—भीतर निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा करवाया जाना अपरिहार्य है।

यदि निर्धारित अवधि अर्थात 6 माह के भीतर—भीतर निर्धारित राशि का 35 प्रतिशत राशि जमा नहीं करवाई जाती है तो ऐसे आवंटन स्वतः ही निरस्त माने जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसे विधिवत नोटिस जारी नहीं किया गया है का कोई औच्तिय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा 35 प्रतिशत राशि का चालान प्राप्त करने के उपरान्त व वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण से आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अपीलांट/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें स्वयं अपीलांट/प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त भूमि की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाकर चालान की प्रति आपके समक्ष दिनांक 08—06—2000 तक पेश कर दुॅगा। यदि प्रति पेश नहीं करू तो आवंटन निरस्त कर दिया जावे तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है ना ही मैं किसी समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करूॅगा। ऐसी स्थिति में अपीलांट स्वयं अपने लिखित अभिकथनों से बाधित है तथा अधिकारों के प्रति सावचेत नहीं रहा है तथा न्याय का यह सिद्वान्त है कि सोया हुआ व्यक्ति न्याय प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत मामलें पर चस्पा नहीं होते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 16—09—2000 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 15—10—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर